अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

231/2021/225 भूरा बनाम हीरालाल वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/231 श्री दीपक शर्मा श्री लोकेन्द्र सिंह एड.	

भूरा बनाम हीरा लाल

11.11.21

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक केवियटकर्ता श्री लोकेन्द्र सिंह उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलार्थी आराजीयात का खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है।स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी की आराजीयात में आये दिन दखलदांजी करते है उक्त भूमि स्वअर्जित सम्पति है जिसको दिनांक 18.01.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जाकर विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है अप्रार्थी की वृद्धावस्था के कारण उक्त भूमि को विवादित कर स्थगन की आड़ में जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड द्वारा प्राप्त लाभों को उक्त आदेश की आड़ में वंचित किया जा रहा है जिससे अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रबल है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के प्रकरण संख्या 87/2021 बउनवानी हीरालाल बनाम भूरा वगैरह आदेश दिनांक 02.09.2021 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नें दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 02.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं, जो चलने योग्य नही है तथा अपीलांट ने उक्त अपील मे अप्रार्थी संख्या 2से 90 को पक्षकारान नहीं बनाया है। इसलिए अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवम् प्रस्तुत समस्त दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा विवादित आराजीयात वर्णित प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 की आराजीयात पर रिकार्ड की यथास्थिति बिनाये रखने एवं बेचान आदि नहीं करने के आदेश दिये है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व सुनवाई के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प

लगातार

33

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

231/2021/225 मूसा बनाम हीरालाल वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/231 श्री दीपक शर्मा श्री लोकेन्द्र सिंह	
लगातार	30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प पुर	